

डीटीएच की तरह इन पर भी लागू होंगे कड़े नियम, दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस संबंध में जारी की सिफारिशें

इंटरनेट पर टीवी चैनल दिखाने वाले ऐप को मंजूरी लेनी होगी

प्रस्ताव

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। इंटरनेट के माध्यम से सोधे टीवी चैनल दिखाने वाले ऐप्स और मुफ्त विज्ञापन-आधारित स्ट्रीमिंग मंचों (फास्ट सर्विस) को नियमित करने की तैयारी है। इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियामकीय ढांचे की सिफारिश जारी की है। इसके तहत अब इंटरनेट पर तब समय-सारिणी के अनुसार टीवी चैनल दिखाने वाले सभी ऐप्स को सरकार से आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

ट्राई ने सोमवार को एप्लिकेशन आधारित टीवी वितरण मंचों (एपलटीवी) के लिए प्राधिकरण ढांचे से जुड़ी सिफारिशें जारी की। प्रस्ताव के मुताबिक, एपलटीवी सेवा देने वाली कंपनी को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदन शुल्क 10,000 रुपये और एकमुश्त प्रवेश शुल्क एक लाख रुपये रखा गया है। अनुमति की शुरुआती अवधि 20 साल होगी और इसके बाद 10-10 साल के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी तरह का प्राधिकरण शुल्क, बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा नहीं करनी होगी।

टीवी और मोबाइल ऐप भी दायरे

टीवी निर्माता कंपनियों केवल अधिकृत ऐप मुहैया कराएंगी



मंत्रालय सभी स्वीकृत एपलटीवी ऐप्स की एक केंद्रीय सूची बनाएगा। इसके साथ ही, इंटरनेट ऐप्स केवल उन्हीं टीवी चैनलों का प्रसारण कर पाएंगे, जिन्हें केंद्र सरकार से वैध मंजूरी या पंजीकरण प्राप्त है।

मैं: ट्राई का कहना है कि कई ऐप स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन और अन्य इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर तब कार्यक्रम के अनुसार पारंपरिक टीवी की तरह टीवी चैनल दिखाते हैं। कुछ ऐप टीवी में पहले से इंस्टाल होते हैं, जबकि कुछ को डाउनलोड करना पड़ता है। वेबसाइट के जरिए भी ऐसी सेवाएं मिलती हैं। इन सभी तरह की सेवाओं को नियमन के दायरे में लाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर ही पंजीकृत इंटरनेट आधारित चैनल और ऐप प्रदाता चैनल दिखा पाएंगे।

शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी ऐप प्रदाता की : ट्राई ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के

समाधान के लिए ऐप प्रदाता को मुख्य जिम्मेदार बनाने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि सेवा से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के निपटारे के लिए उपभोक्ता संबंधित ऐप प्रदाता से संपर्क कर सकेंगे। इसके साथ ही, इन ऐप के जरिए देखे जाने वाले टीवी चैनलों की दर्शक संख्या को भी टेलीविजन दर्शक मापन व्यवस्था में शामिल करने का प्रस्ताव है। अधिकृत ऐप प्रदाता टेलीविजन रेटिंग नीति, 2026 के नियमों के अनुसार दर्शकों से जुड़ा पहचान रहित ऑफ़लाइन समय-समय पर जारी कर सकेंगे।

सोशल मीडिया प्रसारण पर नियम लागू नहीं

यह व्यवस्था हर तरह के ऑनलाइन वीडियो या सोशल मीडिया लाइव प्रसारण पर लागू नहीं होगी। ऐसे ऐप या वेबसाइट, जो किसी प्रसारक के अपने चैनल या उसके समूह की कंपनियों के चैनल ही दिखाते हैं, उन्हें प्रस्तावित एपलटीवी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। सोशल मीडिया मंचों (यूट्यूब, फेसबुक) पर होने वाले लाइव प्रसारण भी इसके दायरे में नहीं होंगे।

सोना 200 रुपये मजबूत, चांदी स्थिर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। रुपये में कमजोरी और वैश्विक बाजारों में मामूली सुधार से सोने की कीमतों को समर्थन मिला। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, चांदी की कीमत (सभी करों सहित) 2,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। इससे पहले इसमें लगातार तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट दर्ज की गई थी।



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda				विक्रय सूचना		
बेरोड दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा: प्रथम तल, श्री बेरीयाला स्मृति भवन, पीडीआर मॉल के पास, लक्ष्मी रोड, वाराणसी 221010 (उत्तर प्रदेश)				अवल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु अनुमति - IV-A		
E-mail: sarvar@bankofbaroda.com, website: www.bankofbaroda.bank.in, Mob. 9554959534				(नियम 8(6) संपत्ति नियम 9(1) के प्रावधान के तहत)		
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संपत्ति प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) संपत्ति नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-निर्णायक बिक्री सूचना।						
एतद्वारा जनसाधारण एवं श्रेणी/जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अवल सम्पत्ति/बैंक/प्रभार युक्त सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कच्चे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है, जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई-निर्णायक/बिक्री की जाएगी। श्रेणी/जमानतकर्ता/कानूनी वारिस/प्रतिभूति आस्ति/देय/आवृत्त मूल्य/ई-निर्णायक की तिथि एवं समय, प्रवेश राशि (ई.एम.डी.) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-						
नीलामी की तिथि 17.11.2026 समय दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक						
प्रवेश राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 16.11.2026 या उसके पहले किया जाएगा।						
क्र.सं.	श्रेणी/जमानतकर्ता/कानूनी वारिस/प्रोपराइटर का नाम एवं पता	अवल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया पदराशि	आवृत्त पदराशि अग्रिम पदराशि बिड बढ़ोत्तरी राशि	कच्चे की तिथि (सांकेतिक/भौतिक)	संपत्ति निवेश हेतु तिथि एवं समय
1.	श्रेणीकर्ता: मेसर्स पवन ट्रेडर्स पंजीकृत पता: के 53/46 ए-1, विशेषज्ञता महामुल्यवाचक रोड, वाराणसी (उ.प्र.)-221001 प्रोपराइटर: श्रीमती रेखा देवी जमानतकर्ता: (1) श्री प्रताप कुमार, (2) श्रीमती लीला देवी सभी निवासी: सी 19/232, ए-8, लल्लुपुरा, सिमरा, वाराणसी (उ.प्र.)-221010	सामयिक बैंक सम्पत्ति मकान नं.- सी-19/232 ए-8, बैंगलूर-2507 वर्ग फीट, जो कि मौजा- लल्लुपुरा, वार्ड- रेतगंज, पुराना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी, में श्रीमती लीला देवी के नाम पर स्थित है। चौहदरी विक्रय विलेख के अनुसार: पूर्व- सांजनिक रास्ता उसके बाद श्री प्यारे लाल दीदी, श्री देवन और श्री गुलजार अहमद का अहता, पश्चिम- रामबाला देवी की भूमि, उत्तर- मित्रा शंकर का अहता, दक्षिण- श्री बजोर साव का अहता	₹ 57,14,713.74 + दिनांक 31.10.2023 से ब्याज और अन्य खर्च (मार्ग सूचना जारी होने के बाद अपार कोई भुगतान है, को घटाकर)	Rs. 84,60,000/- (आवृत्त पदराशि) 8,46,000/- (अग्रिम पदराशि) 25,000/- (बिड बढ़ोत्तरी पदराशि)	सांकेतिक कच्चा	16.11.2026 समय 02:00 PM से 05:00 PM
2.	श्रेणीकर्ता: मेसर्स साईं आशीर्वाद ट्रेडिंग प्रोपराइटर: श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह, पता: खसरा नं. 389, ग्राम- महेवा, पोस्ट- निरामताबाद, चंदौली (उ.प्र.)-232101 श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह जमानतकर्ता: श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री लाल मोहन सिंह दोनों निवासी: प्लॉट नं. 56, मौली, मच्छरहट्टा, रामनगर, वाराणसी (उ.प्र.)-221008	अवल सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आराजी नं.- 56, बैंगलूर-1225 वर्ग फीट राशि 113.84 वर्ग मीटर, मौजा- मौली, पुराना- रामनगर, तहसील- सदर, जिला- वाराणसी, उ.प्र. में स्थित है जो कि श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह के नाम पर है। चौहदरी विक्रय विलेख के अनुसार: पूर्व- लालचंद रावत की भूमि और 10 फीट चौड़ा खसरा, पश्चिम- पोखरी बंदी, उत्तर- विक्रेता का मकान, दक्षिण- अनुषा देवी और दीपक मिश्रा की भूमि	₹ 44,77,59.61 + दिनांक 30.06.2026 से ब्याज और अन्य खर्च (मार्ग सूचना जारी होने के बाद अपार कोई भुगतान है, को घटाकर)	Rs. 54,92,000/- (आवृत्त पदराशि) 5,49,200/- (अग्रिम पदराशि) 25,000/- (बिड बढ़ोत्तरी पदराशि)	सांकेतिक कच्चा	16.11.2026 समय 02:00 PM से 05:00 PM
बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें- www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इस प्रकार बोलचाल प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नं. 9554959534, ईमेल: sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क कर सकते हैं।						
दिनांकित: 22.10.2026		स्थान: वाराणसी		हो प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा		

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का



पाएं 60 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, iphone 18 सहित लाखों के इनाम जीतने का मौका!

Q. आज के हिन्दुस्तान में पेज क्रमांक 3 पर प्रकाशित विज्ञापनों में से किसी एक ब्रांड का नाम बताएं।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, सवाल का जवाब दें और पाएं मौका लाखों के इनाम जीतने का।



जियो के शेयर आज खाते में आएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े आईपीओ 'जियो प्लेटफॉर्म' ने आवेदन करने वाले पात्र निवेशकों को शेयरों का आवंटन जारी कर दिया है। उनके डीमैट खाते में 27 अक्टूबर की रात तक शेयर जमा हो जाएंगे। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित नहीं हुए हैं, उनकी रकम खाते में वापस कर दी जाएगी।

इसी के साथ जियो प्लेटफॉर्म ने शेयर की कीमत तय कर दी है। यह 1,119 रुपये प्रति शेयर होगी। यह आईपीओ की ऊपरी मूल्य सीमा के आधार पर तय की गई है।

प्राइस बैंड 1065-1119 रुपये प्रति शेयर था। 28 अक्टूबर से एनएसई और बीएसई पर जियो प्लेटफॉर्म के शेयर सूचीबद्ध होंगे।

काउंटर से टिकट बीमा पर डिजिटल भुगतान जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर से डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को कहा कि बीमा प्रीमियम नकद में नहीं लिया जा सकता है, ऐसे में इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को पत्र भेजकर निर्देश लागू करने को कहा है। इसके अनुसार, चूंकि 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं हैं, इसलिए टिकट किराया और बीमा प्रीमियम का

- रेलवे बोर्ड ने आज से लागू किए गए नियम
- बीमा प्रीमियम नकद में नहीं लिया जा सकता

भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को इस संबंध में क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी किए हैं। सीआरआईएस के अनुसार टिकट रद्द करने पर अन्य लागू रद्दीकरण शुल्क के अलावा बीमा प्रीमियम में से भी नौ पैसे काटे जाएंगे। बीमा प्रीमियम 45 पैसे है। यानी टिकट रद्द होने पर बीमा के लिए जमा 45 पैसे में से नौ पैसे को कटौती होगा।

चंद्रशेखरन मामले में बैटक की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

टाटा संस विवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। टाटा संस के अध्यक्ष नोएल टाटा ने इस पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

सोमवार को उन्होंने कंपनी सचिव

थीं। इस आईपीओ में आम निवेशकों ने 2.72 गुना बोलियां लगाई थीं। वहीं, संस्थागत निवेशकों ने 70.55 गुना से अधिक आवेदन किए थे।

यूरोप के मुकाबले भारत में कारोबारी सुगमता अधिक

हेग, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत नियमों को सरल बनाकर कंपनियों के लिए कारोबार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसके उलट यूरोप में कारोबार पर नियामकीय बोझ अधिक है। गोयल ने सोमवार को हेग में भारत-नीदरलैंड व्यवसायी मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आर्थिक कारोबारी सुगमता चाहती है। कारोबारियों को सरल प्रक्रियाओं और कम कामगिरी कारोबार को आसान बनाने के लिए कारोबारियों से सुझाव लेती है और नियमों को सरल बनाने पर काम कर रही है।

(एईओआई) के तहत साझा की गई है। इसमें सीआरएस और फेडका जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे शामिल हैं। फिलहाल पोर्टल पर वर्ष 2022 से 2024 तक की जानकारी उपलब्ध है। सूचना भेजी: सूत्रों का कहना है कि 23 अक्टूबर को उच्चस्तरीय

बैठक हुई, जिसमें विदेश में संपत्ति रखने वाले करदाताओं की संबंधित व्योरा साझा करने का फैसला लिया गया। विभाग ने हाल ही में कुछ चुनिंदा करदाताओं को संदेश भेजे हैं, जिन्होंने यूईई में आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया है।